

76/2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021
कैम्प स्थल:-

दिनांक:-

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प, भापडाकला


क्रमांक: राजस्व/2021/२४

दिनांक: 12 / 11 / 2021

आदेश

आवेदक श्री.....किशनलाल शर्मा.....ने
तहसील कोटखावदा में ग्राम.....श्री. गढ़कापडा.....स्थित आराजी
ख.न. (२३,३७), 1-2, 529.....रकबा.....के संबंध में जमाबन्दी
सम्बत् 2074-77.....के खाता संख्या 19, 20, 21.....पर अंकित प्रविष्टि
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
.....श्री. गढ़कापडा.....की जमाबन्दी के खाता संख्या 19, 20, 21.....की प्रविष्टि के
स्थान पर.....किशनलाल शर्मा.....(किशनलाल शर्मा नाटपण)
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
पटवारी हल्का.....भापडाकला.....की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा
की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री.....किशनलाल.....पुत्र
श्री.....नाटपण.....जाति.....गढ़कापडा.....निवासी
.....तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत् 2074-77
के खाता संख्या 19, 19, 20, 21 में अंकित प्रविष्टि श्री किशन
.....श्री. गढ़कापडा.....के स्थान पर.....किशनलाल शर्मा.....
.....श्री. गढ़कापडा.....
किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन
किया जावे।



शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दिनांक: 12 / 11 / 2021

क्रमांक: राजस्व/2021/२४

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार.....कोटखावदा.....
2. पटवारी हल्का.....भापडाकला.....


शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी